

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक: 154) 6154 मा. विधायक कुँवर सौरभ सिंह

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/03/2016

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 35 / 2006 / 24(बी) / एक /

इन्दौर दिनांक

प्रति,

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,
भोपाल वृत्त-1,
भोपाल (म.प्र.)

उत्तर

18/3/11

विषय :- म.प्र. राज्य रोजगार ग्यारंटी परिषद, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा दिया गया आवेदन पत्र ठेकेदार एवं सप्लायर से वेट टेक्स काटने बाबद।

संदर्भ :- आपका पत्र क. वाक / सआ / 78 दिनांक 12.1.2011

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश रोजगार ग्यारंटी परिषद के नाम से ही स्पष्ट है कि परिषद केन्द्र या राज्य सरकार का विभाग या कार्यालय नहीं है। माल के प्रदाय पर देय वेट की कटौती करने की अनिवार्यता केन्द्र या राज्य सरकार या उसके किसी कार्यालय को है अन्य को नहीं। इसलिए माल की बिक्री पर देय वेट की कटौती करने का अधिकार परिषद को नहीं है। इसलिये परिषद द्वारा कटौती नहीं की जा सकती है। जितनी राशि काटकर वेट के शीर्ष में जमा की जा चुकी है, इसके प्रयोजन के लिये फार्म नंबर 31 जारी किए जाए तथा परिषद के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित फार्म 31 के आधार पर क्रेडिट दी जाए।

आयुक्त,

वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 4-3-11

पृष्ठा. क. 35 / 2006 / 24(बी) / एक / 63

प्रतिनिधि :-

म.प्र. राज्य रोजगार ग्यारंटी परिषद, 59 सी विंग, द्वितीय तल नर्मदा भवन अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर आयुक्त,

वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

राज्य रोजगार ग्यारंटी परिषद
एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

22 MAR 2011

896

S. N. CHOUBEY
JOINT COMMISSIONER (F&A)
M.P. Rajya Rojgar Guarantee
Parishad, BHOPAL (M.P.)